न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2017 – निगरानी

1. श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास समिति, श्री मेघवंशी समाज सेवा समिति बढारों की सरेरी जरिये अध्यक्ष श्री सावंरलाल पिता हीरालाल बलाई निवासी कंवलियास तहसील हुरडा 2. श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास समिति, श्री मेघवंशी समाज सेवा समिति बढारों की सरेरी जरिये सचिव श्री रामचन्द्र पिता लालूराम बलाई निवासी कंवलियास तहसील हुरडा	बनाम	1. ग्राम पंचायत सरेरी जरिये सरपंच/सचिव तहसील हुरडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी आदेश ग्राम पंचायत सरेरी पटटा सं. 109 पत्रावली सं. 105 दायर
दिनांक 15.01.1990

उपस्थित –

1. श्रीमती निर्मला जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 10-08.2020

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास समिति, श्री मेघवंशी समाज सेवा समिति बढारों की सरेरी एक पंजीकृत संस्था है जो समाज सेवा विकास एवं सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर की प्रबन्ध व्यवस्था का कार्य करती है। मेघवंशी समाज द्वारा हाईवे चौराहा सरेरी पर श्री सावंरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर का निर्माण कार्य कराया था जिस पर श्रीमती पार्वती देवी मेघवंशी निवासी रामदेवरा को पुजारी नियुक्त किया था। सन् 1990 में मेघवंशी समाज सेवा समिति तथा सावंरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास का पंजीकरण नही कराया हुआ था जिसका नाजायज लाभ उठाने की नियत से श्रीमती पार्वती देवी पुत्री देवीलाल मेघवंशी ने उक्त मंदिर की भूमि का पटटा ग्राम पंचायत सरेरी को अंधेरे में रख कर अपने निजी नाम पर बनवा लिया। मंदिर हेतु यह पटटा 95 फीट बाई 81 फीट कुल क्षैत्रफल 7995 वर्गफीट का जारी किया गया था जिसकी भेंट के 5001/–रू. भी मेघवंशी समाज ने इकट्ठा करके श्रीमती पार्वती देवी को यह कहकर दिये थे कि मंदिर का पटटा सावंरिया सेठ एवं बाबा

रामदेव मंदिर विकास, मेघवंशी समाज सेवा समिति सरेरी के नाम से बनवाना है किन्तु श्रीमती पार्वती देवी ने बदनीयती से भूखण्ड का पटटा अपने नाम पर बनवा लिया जो सरासर गलत है क्योंकि मंदिर हेतु भूखण्ड का बापी पटटा किसी व्यक्ति के नाम पर जारी नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 255 से 272 तक की पालना नही की गयी जिससे उक्त भूखण्ड का बापी पटटा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड के पटटे हेतु किसी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया, न कोई पत्रावली कायम की गयी एवं निर्धारित शुल्क भी जमा नही किया गया। ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड का न तो कोई नक्शा बनाया और न ही मौका निरीक्षण हेतु वार्डपंचों की कोई समिति ही गठित की थी। किसी तरह का कोई सूचना पत्र आपत्ति दर्शित करने हेतु जारी किया गया। उक्त पटटाधारी श्रीमत पार्वती देवी न तो भीलवाडा जिले की है और न ही ग्राम पंचायत सरेरी की निवासी थी। जिससे उक्त पटटा सं. 109 निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत केवल 150 वर्गगज तक की भूमि का आवासीय पटटा कमजोर वर्ग के व्यक्ति के नाम पर रियायती दर से जारी करने का अधिकार है। श्रीमती पार्वती देवी का सन् 1997 मे देहान्त हो गया था। उसके कोई पुत्र पुत्रियां व अन्य कोई विधिक वारिस जीवित नही है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर श्रीमती पार्वती देवी के नाम पर सन् 1991 में जारी किया गया पटटा निरस्त कराया जाकर इसे मंदिर के भूखण्ड का संशोधित पटटा श्री सावंरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास, मेघवंशी समाज सेवा समिति सरेरी के नाम पर जारी कराया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 05.12.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार की जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 8 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि श्री सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास समिति, श्री मेघवंशी समाज सेवा समिति बढारों की सरेरी एक पंजीकृत संस्था है जो समाज सेवा विकास एवं सांवरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर की प्रबन्ध व्यवस्था का कार्य करती है। मेघवंशी समाज द्वारा हाईवे चौराहा सरेरी पर श्री सावंरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर का निर्माण कार्य कराया था जिस पर श्रीमती पार्वती देवी मेघवंशी निवासी रामदेवरा को पुजारी नियुक्त किया था। सन् 1990 में मेघवंशी समाज सेवा समिति तथा सावंरयिा सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास का पंजीकरण नही कराया हुआ था जिसका नाजायज लाभ उठाने की नियत से श्रीमती पार्वती देवी पुत्री देवीलाल मेघवंशी ने उक्त मंदिर की भूमि का पटटा ग्राम पंचायत सरेरी को अंधेरे में रख कर अपने निजी नाम पर बनवा लिया। मंदिर हेतु यह पटटा 95 फीट बाई 81 फीट कुल क्षैत्रफल 7995 वर्गफीट का जारी किया गया था जिसकी भेंट के 5001/—रू. भी मेघवंशी समाज ने इकट्ठा करके श्रीमती पार्वती देवी को यह कहकर दिये थे कि मंदिर

का पटटा सावंरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास, मेघवंशी समाज सेवा समिति सरेरी के नाम से बनवाना है किन्तु श्रीमती पार्वती देवी ने बदनीयती से भूखण्ड का पटटा अपने नाम पर बनवा लिया जो सरासर गलत है क्योंकि मंदिर हेतु भूखण्ड का बापी पटटा किसी व्यक्ति के नाम पर जारी नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 255 से 272 तक की पालना नही की गयी जिससे उक्त भूखण्ड का बापी पटटा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड के पटटे हेतु किसी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया, न कोई पत्रावली कायम की गयी एवं निर्धारित शुल्क भी जमा नही किया गया। ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड का न तो कोई नक्शा बनाया और न ही मौका निरीक्षण हेतु वार्डपंचों की कोई समिति ही गठित की थी। किसी तरह का कोई सूचना पत्र आपत्ति दर्शित करने हेतु जारी किया गया। उक्त पटटाधारी श्रीमत पार्वती देवी न तो भीलवाडा जिले की है और न ही ग्राम पंचायत सरेरी की निवासी थी। जिससे उक्त पटटा सं. 109 निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत केवल 150 वर्गगज तक की भूमि का आवासीय पटटा कमजोर वर्ग के व्यक्ति के नाम पर रियायती दर से जारी करने का अधिकार है। श्रीमती पार्वती देवी का सन् 1997 मे देहान्त हो गया था। उसके कोई पुत्र पुत्रियां व अन्य कोई विधिक वारिस जीवित नही है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर श्रीमती पार्वती देवी के नाम पर सन् 1991 में जारी किया गया पटटा निरस्त कराया जाकर इसे मंदिर के भूखण्ड का संशोधित पटटा श्री सावंरिया सेठ एवं बाबा रामदेव मंदिर विकास, मेघवंशी समाज सेवा समिति सरेरी के नाम पर जारी कराया जावे।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार ने श्रीमती पार्वती देवी को निगरानी मे पक्षकार ही नही बनाया है जबकि उसी के नाम पर जारी पटटा निरस्त कराये जाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत सरेरी का रिकार्ड निरीक्षण किये जाने पर जानकारी में आया कि उक्त निगरानी मे उल्लेखित पटटा की पटटा बुक व मिशल पूर्व तत्कालिन सचिव फोटोप्रति कराने के लिए ले जाते समय रास्ते में गिर जाने से गुम हो जाना बताया तथा उक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना रायला जिला भीलवाडा में उसी समय दर्ज करा दी गयी थी। इस कारण उक्त पटटा पत्रावली व मिशल ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। निगरानी प्रकरण में अंकित किया गया कि पुजारी श्रीमती पार्वती देवी वर्ष 1997 मे लाऔलाद फौत हो गयी। इस कारण से उक्त श्री सांवरिया सेठ एवं बाबाराम देव विकास समिति को पटटा निरस्ती के किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं है। उक्त धार्मिक स्थल के संचालन के लिए अन्य कोई व्यक्ति अपन हक उजर एतराज जाहिर कर सकता है। इसलिए उक्त पटटा श्रीमती पार्वती देवी के विधिक वारिसान नही होने की स्थिति में निरस्त किया जाकर पुनः ग्राम पंचायत सरेरी के विधिक अधिकार में दिया जाये। ग्राम पंचायत सरेरी एक विधिक संस्थान हैं। उक्त भूखण्ड चूंकि ग्राम पंचायत सरेरी के आबादी क्षैत्र का होने से पटटा निरस्त किया जाकर पुनः ग्राम पंचायत सरेरी के नाम

किया जाये ताकि अन्य व्यक्तियों के दावेदारी होने व वाद विवाद की बहुलता तथा शांति व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। निवेदन है कि प्रश्नगत पटटे को निरस्त कराया जाकर उक्त भूखण्ड पुनः ग्राम पंचायत सरेरी को सुपुर्द किया जाये।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. **जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।**

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए,राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत ।

राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम 157 क व ख में ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि में निर्मित पुश्तैनी मकानों का पट्टा जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। नियम 157 क के अंतर्गत 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित मकान के लिये 100/–रू. व नियम 157 ख में 50 वर्षों के दौरान निर्मित मकान के लिये 200/– रू. पट्टा फीस निर्धारित होकर पट्टा जारी करने की नियमों में व्यवस्था दी गयी है ।

ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा जारी पटटे के भूखण्ड का क्षैत्रफल 95 फीट बाई 81 फीट कुल क्षैत्रफल 7995 वर्गफीट का हैं। जबकि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में व्यक्तिगत नाम पर पटटा हेतु 2700 वर्गफीट से अधिक क्षैत्रफल का पटटा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई पत्रावली संधारित नही की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा 5001/–रू. भी जमा करके पटटा जारी किया गया। 100/–रू. से अधिक प्रतिफल राशि का पटटा होने से पटटे का पंजीयन भी नही कराया गया। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के नाम आबादी भूमि में मंदिर प्रयोजनार्थ पटटा जारी करने

अति जिला कलक्टर

के अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145,146, 147, 148, 149 की स्पष्ट अवहेलना कर आबादी भूमि में मंदिर हेतु श्रीमती पार्वती देवी के पक्ष में पटटा जारी किया हैं। निगराकार ने निगरानी में अंकित किया हैं कि श्रीमती पार्वती देवी का सन् 1997 में देहान्त हो गया हैं। इस प्रकार पटटा विधि विरूद्व होने से प्रारम्भ से ही शून्य होकर पटटेशुदा आबादी भूमि का अधिकार क्षैत्र ग्राम पंचायत सरेरी का हो जाता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत सरेरी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा पत्रावली क्रमांक 105 दायर दिनांक 15.01.1990 में श्रीमती पार्वती देवी पुत्री देवीलाल मेघवंशी निवासी रामदेवरा के नाम पर मंदिर प्रयोजनार्थ जारी बापी पटटा सं. 109 वर्ष 1991 को खारिज किया जाता है। सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा उक्त पटटे की आबादी भूमि में स्थित मंदिर एवं परिसर भूमि को अपनी तहवील में लेवे एवं मंदिर एवं परिसर की आबादी भूमि को खुर्द बुर्द नही होने की सुनिश्चितता करें। विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा उक्त खारिज बापी पटटा सं. 109 वर्ष 1991 से संबंधित मंदिर एवं परिसर आबादी भूमि पर प्रबन्धन करते हुये पूर्ण निगरानी रखे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुलाबपुरा एवं तहसीलदार हुरडा उक्त आबादी भूमि पर स्थित मन्दिर के प्रबन्धन की निगरानी के साथ साथ कानून व्यवस्था की निगरानी भी सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुलाबपुरा, तहसीलदार हुरडा, विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा एवं सचिव,ग्राम पंचायत सरेरी तथा न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भीलवाडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10-08- .2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा।